

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0एम0ए0

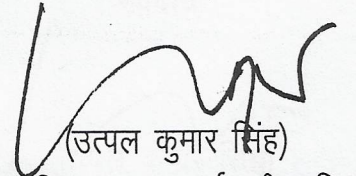
देहरादून दिनांक 19 जून, 2020

विषय: काविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की कमवार समाप्ति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 285/USDMA/792(2020) दिनांक 08 जून, 2020 को जारी किये गये दिशानिर्देशों के क्रम में मुझे समस्त संबंधितों को यह स्पष्ट करने के निदेश हुए हैं कि उक्त पत्र के क्रम संख्या 3.3 के बिन्दु संख्या 4 एवं 5 में दी गयी व्यवस्था केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व समस्त सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाओं हेतु भी लागू होगी।

भवदीय,



(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. संबंधित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रेषक,

436

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0एम0ए0

देहरादून दिनांक 19 जून, 2020

विषय: काविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की कमवार समाप्ति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 285/USDMA/792(2020) दिनांक 08 जून, 2020 को जारी किये गये दिशानिर्देशों के क्रम में मुझे समस्त संबंधितों को यह स्पष्ट करने के निदेश हुए हैं कि उक्त पत्र के क्रम संख्या 3.3 के बिन्दु संख्या 4 एवं 5 में दी गयी व्यवस्था केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व समस्त सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाओं हेतु भी लागू होगी।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. संबंधित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून:

दिनांक: 16 जून, 2020

विषय— कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति हेतु निर्गत एसओपीओ (Standard Operating Procedures for Movement of Indian Nationals/Tourists Stranded in Various Countries) में समावेश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति हेतु निर्गत आदेश (संख्या 209/USDMA-792(2020) दिनांक 28 मई, 2020 में निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेश किया गया है।

- All asymptomatic inbound persons coming from other countries to Uttarakhand shall mandatorily register themselves on the web portal (<https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php>) prior to their journey.
- All asymptomatic inbound persons coming from other countries shall undergo a period of 7 days in institutional quarantine and subsequently 14 days in home quarantine.
- The Additional Nodal Officer (ARC) shall provide a list of paid quarantine facilities available in Delhi/ or areas adjoining the airport and in the districts of Uttarakhand to such inbound persons.
- The inbound persons shall clearly specify their choice of paid institutional quarantine facility (Delhi/ or areas adjoining the airport and in the districts of Uttarakhand) at help desk setup by the Additional Nodal Officer (ARC).
 - In the event of a person opting to stay in an institutional quarantine facility in Uttarakhand free of charge, a list of such government run free quarantine facilities will be provided to the said person.
- All inbound persons desirous of quarantine in Uttarakhand shall be facilitated by ARC office (Additional Nodal Officer)/ State Nodal Officers by arranging vehicles on payment basis to enable them to reach their destination districts in Uttarakhand.
- The ARC shall share list of all such persons with District Nodal Officers on a daily basis so that appropriate arrangements are made at district level.

- The inbound persons must directly report to the paid quarantine centre selected by the said person. In case the option is for free institutional quarantine facilities, the help desk shall instruct such inbound persons to report at the border check posts of the districts of destination and then directly to such facility as indicated by the check post team. Any violation in this regard shall be punishable under relevant sections of IPC, Epidemics Diseases Act and Disaster Management Act.
- However, only in exceptional and compelling circumstances, such as pregnancy, death in family, serious illness, senior citizen above 65 years of age and parent(s) accompanied by children below 10 years or any other personal distress as assessed by the ARC/ State Nodal Officers/District Nodal Officers in co-ordination with Health Authorities, home quarantine may be permitted for 14 days to all such asymptomatic passengers, subject to compliance of all norms of social distancing and safety (as per MoHFW, MHA and state govt. guidelines).

उक्त समावेशित बिन्दुओं के आधार पर यथा संशोधित एस०ओ०पी० (मानक प्रचालन विधि) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शेष आदेश तथा निर्गत दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या/दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री महोदय के सज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा० मंत्रीगण/मा० राज्य मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
3. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. आयुक्त सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित गार्ड फाईल।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

प्रेषक,

मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन

एवं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक: 12 जून, 2020

विषय— कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति हेतु निर्गत शासनादेश में बिन्दु संख्या-6 समावेश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति हेतु निर्गत शासनादेश (संख्या 28/USDMA-792(2020) दिनांक 07 जून 2020, संख्या 285/USDMA-792(2020) दिनांक 08 जून 2020) में निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेश किया गया है।

Opening of Banquet Halls/ Community Halls for Marriage and related ceremonies

1. All Banquet Halls/ Community Halls shall be allowed to open in the state, except in containment zones and these shall be exempted from Point No. 3.8 of G.O. No. 285-USDMA-792(2020) dated 8th June, 2020, till further orders.
2. The Management of Banquet Halls/ Community Halls shall ensure that the number of persons attending the ceremony shall not exceed 50. All guests/ attendees shall provide a written undertaking (annexed self-declaration form) clearly indicating their place of stay and marriage location to the management of Banquet hall / hotel.
3. All asymptomatic relatives of bride/groom travelling from high load Covid-19 infected cities shall be exempted from being quarantined. However they shall not be permitted to visit any public places, except the concerned Banquet Hall/ Community Hall.
4. All the asymptomatic guests coming to attend the marriage shall be exempted from Point Nos. 1.2 and 1.3 of Order No. 28/USDMA-792(2020) dated 7th June, 2020, subject to the condition that all norms of safety and social distancing as per MHA and MoHFW guidelines are strictly complied with.
5. The Management of Banquet Hall/ Community Hall shall ensure proper thermal screening of all employees and guests prior to their entry and

maintain a record of all such persons. They shall also ensure adherence of guidelines related to safety and social distancing issued by MoHFW, Government of India. 442

6. Violation of the above provisions shall be punishable under relevant sections of IPC, Epidemics Diseases Act and Disaster Management Act.

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को मा. मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

443

Annexure-1

Self-declaration Form

- I/ we hereby declare that I/we are coming to Uttarakhand for marriage/ other ceremony.
- The marriage/ related ceremony is arranged at(Hotel/ location) on
- I/we shall be staying at(Hotel/ location) and leaving on .../...../2020
- During my/ our stay, I/ we shall not visit any place outside the hotel or venue of marriage/ other ceremony.
- I/ we shall strictly adhere to the health protocols of the government of Uttarakhand and MoHFW, Government of India during my/ our stay.

I/ we understand that in case I/ are found violating the undertaking I/ we shall be prosecuted under appropriate sections of the DM Act, 2005 and the IPC.

Name:....., **Age:**..... **Sex:** M / F

Mobile Number: / / / / / / / / /

Address:

Signature